राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 65/2015

कमला शंकर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य अभियंता, वार्ड उदयपुर जोन।
2. अधीक्षण अभियंता, माही परियोजना, बांसवाडा।
3. अधिशाषी अभियंता, बांध डिवीजन–प्रथम, माही परियोजना, बांसवाडा।
4. सहायक अभियंता, उप डिवीजन–द्वितीय, बांध डिवीजन–प्रथम, माही बांध, बांसवाडा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.01.2015
आदेश की दिनांक : 03.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अधीनस्थ सेवा के कैडर के मिस्त्रीस एवं वर्कचार्ज कोड कर्मचारियों के समान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा सभी पारिणामिक लाभ नरपत सिंह बनाम राज्य एवं धूलजी बनाम राज्य तथा मुबारक व अन्य बनाम राज्य वाले निर्णय के प्रकाश में प्रदान किए जाने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 02.06.1970 को मस्टर रोल आधारित मिस्त्री के पद पर हुई थी और उसे 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 02.06.1972 से आदेश दिनांक 15.05.1976 के द्वारा अर्द्धस्थायी माना गया और आदेश दिनांक 07.02.1992 के द्वारा दिनांक 02.06.1980 से उसे स्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थी की सेवाएं संतोषजनक रही। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान 5500–9000 प्रदान किया गया और उसे 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर यह तृतीय चयनित वेतनमान दिया गया था। उनका कथन है कि अपीलार्थी को संशोधन नियम, 1988 के तहत उचित लाभ प्रदान नहीं किए गए। मिस्त्री अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत नियुक्त किए

गए, जो वर्कचार्ज सर्विस कोड एवं मिस्त्री को एक ही वेतनमान में निर्धारित किया गया है, जो नियम, 1983 के तहत दोनों वर्गों को रूपये 295–500 वेतनमान था और रूपये 420–740 में निर्धारित किया गया। दोनों वर्गों को एक समान वेतन निर्धारित किया गया। इस प्रकार का मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4251/1993 नरपत सिंह व अन्य बनाम व राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2001 को आदेश दिनांक 22.01.2002 के द्वारा बरकरार रखा गया, जिसमें मिस्त्री के वेतनमान को वर्ष 1981 से 1988 की अवधि के लिए 2 वेतनमान का प्रावधान किया गया, जिसमें मिस्त्री (i) जो नियम, 1964 के तहत वर्कचार्ज के रूप में एवं मिस्त्री (ii) जो नियम, 1967 के तहत राजस्थान अभियंता अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 के तहत वर्ष 2005 में धूलजी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में रिट याचिका को निर्णय दिनांक 16.11.2005 को स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.09.1981 से वेतनमान का लाभ नियम, 1967 के अंतर्गत मिस्त्री को दिया गया और सभी शेष राशि एवं वेतनमान का भुगतान किया गया। इसी तरह एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1445/2005 मुबारक हुसैन व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2012 की पालना में समान अभ्यर्थियों को वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। जबकि अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अधीनस्थ सेवा के कैडर के मिस्त्रीस एवं वर्कचार्ज कोड कर्मचारियों के समान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा सभी पारिणामिक लाभ नरपत सिंह बनाम राज्य एवं धूलजी बनाम राज्य तथा मुबारक व अन्य बनाम राज्य वाले निर्णय के प्रकाश में प्रदान किए जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि सेवापुस्तिका के आधार पर दर्शायी गई वेतन श्रृंखला राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी गई है। मिस्त्रियों का स्वीकृत वेतनमान 420–720 दिया जाना आदेशों के अनुरूप सही है। बी.एस.बाजवा बनाम पंजाब राज्य में स्पष्ट कहा गया है कि एक बार वरिष्ठता एवं वेतन की स्थिति निर्धारित होने के बाद लम्बे अंतराल के बाद बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार

अपीलार्थी की यह मांग न्यायसंगत नहीं है। अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 02.06.1970 को मस्टर रोल आधारित मिस्त्री के पद पर हुई थी और उसे दिनांक 02.06.1980 से उसे स्थायी घोषित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को अधीनस्थ सेवा के कैडर के मिस्त्रीस एवं वर्कचार्ज कोड कर्मचारियों के समान वेतनमान का एवं नरपत सिंह व अन्य बनाम व राजस्थान राज्य एवं मुबारक हुसैन व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय के आधार पर लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह राज्य सरकार के नियमों एवं उक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के अभ्यावेदन को दो माह में नियमानुसार निस्तारण करें, जिसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य